न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान –

1. मीरा पत्नी श्री तारा राम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. चुन्नीलाल पुत्र श्री तारा राम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........**वादीगण**.........

वनाम–

1. पार्वती देवी पत्नी श्री देवाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.) **(मृतका)**
2. भैराराम पुत्र श्री देवाराम **(मृतक)**

2/1 पार्वती पत्नी स्व. श्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2/2 सरस्वती देवी पुत्री स्व. श्री भैराराम पत्नी श्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी नागौरी गेट, राम मौहल्ला, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर (राज.)

2/3 नैना देवी पुत्री स्व. श्री भैराराम पत्नी श्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी 39 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2/4 रविदास पुत्र स्व. श्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2/5 गणपतराम पुत्र स्व. श्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2/6 सांगीलाल पुत्र स्व. श्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2/7 कमला पुत्री स्व. श्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.) ?

3. गंगा देवी पुत्री श्री देवाराम जाति मेघवाल निवासी मकान 187 माजीपुर जे.जे. कॉलोनी, 63 नई दिल्ली।
4. सुगना देवी पुत्री देवाराम पत्नी अशोक कुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 29 वाटरवर्क्स के पीछे गांव बींछबायला तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. लाछा देवी पुत्री देववाराम पत्नी [illegible] मेघवाल निवासी वार्ड नं. 29 वाटरवर्क्स के पीछे गांव [illegible] जिला श्री गंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राज.) श्री विजयनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:46 IST
Reason: SelfAttested

.............**प्रतिवादीगण**.......

लगातार.........2

Scanned with CamScanner

7. निर्मला देवी पुत्री तारा राम जाति मेघवाल निवासी दुदासागर के पास पटेल नगर, मेड़ता सिटी जिला नागौर

8. औमी देवी पुत्री ताराराम जाति मेघवाल निवासी मथरापुन्जला चार थम्बा के पास, मेघवाल बस्ती वार्ड नं. 62 जोधपुर राजस्थान

9. बीजलराम पुत्र श्री ताराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

10. वेद प्रकाश पुत्र श्री ताराराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.........तरतीबी पक्षकार........

उपस्थित :- 1. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील वादी
2. श्री शेराराम ओड वकील प्रतिवादीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188, 209_राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक- 10/12/2024

प्रकरण संख्या - 179/2013

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

[illegible] वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि देवाराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति मेघवाल के नाम से वाके चक 7 एल.सी. का मु.नं. 11 प.नं. 151/346 किला नं. 1 ता 11 का 2.783 है. भूमि एवं मु.नं. 47 प.नं. 149/352 का किला नं. 3 ता 8, 14 ता 16 का 2.277 है. नहरी कुल 5.060 है. नहरी मय खाला एवं चक 2 एम. एस.डी. का मु.नं. 13 प.नं. 144/343 का किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. कमाण्ड भूमि दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2069-72, 2067-70 है। जो कि उक्त भूमि बतौर शरणार्थी प्राप्त हुई थी एवं ग्रुप लीडर के रूप में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज किया जाता था इसलिए उक्त भूमि परिवार का मुखिया होने के कारण से जीवो के आधार पर बतौर शरणार्थी आवंटन होकर देवाराम वल्द मंगताराम मेघवाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। यहां यह बताना आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित भूमि बतौर शरणार्थी देवाराम, पारवती, ताराराम, मीरा, भैराराम को आवंटित चक 64 एन.पी. की भूमि के तबादला में प्राप्त हुई थी जिसकी दाखला रजिस्ट्रा खेवड़ाराम ग्रुप संख्या 18 की चित्रप्रति संलग्न वाद पत्र है। इस प्रकार वादिया संख्या 1 पारो का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा संयुक्त अन्य सहखातेदारान के साथ है एवं वादिया संख्या [illegible] पति व वादी संख्या 2 व तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 के पिता ताराराम का [illegible] भूमि में 1/5 हिस्सा है। चूंकि अब ताराराम का देहान्त हो [illegible] एवं ताराराम के वारिसान

लगातार..........3

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 है एवं एक अन्य वारिस धर्माराराम का अविवाहित रहते देहान्त हो चुका है इसलिए वादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 ही उनके वारिसान है एवं विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा वादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 में औद्य हो चुका है जिसके वादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान खातेदार टीनेन्ट है एवं स्वयं को उक्त रकबा का खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का वाद पत्र पेश किया गया था।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 पैराकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद पत्र के तथ्यों से इन्कार करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। दौराने विचारण वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण पक्षकारान के द्वारा स्वयं उपस्थित आकर न्यायालय के समक्ष राजीनामा/फैमली सैटलमेन्ट प्रस्तुत कर वाद पत्र का निस्तारण राजीनामा के आधार पर करने का निवेदन किया। चूंकि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है और विवाधक नहीं है इसलिए तनकियात कायम करने की आवश्कता नहीं है।

दिनांक 06/01/2022 को कैम्प ग्राम पंचायत 1 एम.एस.डी.(मघेवाली ढाणी) में प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनवानी पत्रावली को पेशी में ली जाकर राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने का निवेदन किया। जिस पर उक्त अनवानी पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद निर्णय करने की सहमति दी गई है। राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार को मौके पर राजीनामा की अद्यतन स्थिति जांच करने एवं नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश सुनाया गया।

आदेश की पालना में तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति व्यक्त करने पर न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार मीरा पत्नी ताराराम, चुन्नीलाल पुत्र ताराराम, निर्मला देवी पुत्री ताराराम, औमी देवी पुत्री ताराराम, बीजलमा पुत्र ताराराम, वेद प्रकाश पुत्र ताराराम बहिब जाति मेघवाल साकिन 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर के कब्जा काश्त एवं हिस्सा में चक 7 एल.सी. का प.नं. 151/346 का किला नं. 9 का 0.025 है., 10, 11 का 0.506 है. = 0.531 है. व चक 2 एम.एस.डी.का प.नं. 144/343 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25/2 का 1.240 है. कुल योग 1.771 है. तथा मीरा पत्नी ताराराम जाति मेघवाल साकिन 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर के कब्जा काश्त एवं हिस्सा में चक 7 एल.सी. का प.नं. 151/346 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/[illegible] 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, ,5/2, 6, 7, 8, 9/0.228 है. कुल [illegible] 2.2[illegible] है. तथा पार्वती पत्नी भैराराम, [illegible] भैराराम 1/4 हिस्सा सरस्वती, नैना देवी, रविदास, गणपतराम, [illegible] लाछा देवी पुत्रिया देवाराम 3/4 हिस्सा बहिब जाति मेघवाल तथा गंगा देवी, सुगनादेवी [illegible] बहिब जाति मेघवाल साकिन 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर के कब्जा काश्त एवं

लगातार..........4

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा में चक 7 एल.सी. का प.नं. 149/352 का किला नं. 3 ता 8, 14 ता 16 का 2.277 है. व चक 2 एम.एस.डी. का प.नं. 144/343 का किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 का 4.958 है. कुल योग 7.235है. खातेदार को उक्तानुसार भूमि का विभाजन स्वीकार किया जाकर खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्री विजयनगर भूमि विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/25 को राजस्व लोक अदालत में कैम्प कोर्ट में मजमेआम में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner